श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–पंजी / 11 / 2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022/80

प्रार्थी राजकुमार स्वामी पुत्र नौरंगलाल स्वामी निवासी मकान नं0 416 वार्ड नं0 15 गांधी बस्ती पुरानी आबादी जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता श्रीमती सावित्री देवी पत्नी नौरंगलाल स्वामी निवासी वार्ड नं0 11 हाल मकान नं0 416 वार्ड नं0 15 गांधी बस्ती पुरानी आबादी जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 11.10.2021 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 04.02.2022 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 11.10.2021 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान गुरप्रीत सिंह पुत्र छिन्द्र सिंह एवं चन्द्रशेखर पुत्र रणजीत सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार ग्रोवर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

16/3/22

143